न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः— 28/2017 (76 एल .आर. एक्ट)

उनवान

रामलखन पुत्र भवूती आयु करीब 62 साल जाति गुर्जर निवासी कुतकपुर तहसील बाडी जिला धौलपुर राज0

........................अपीलांट।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, धौलपुर जिला धौलपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बाडी।

.................................रेस्पोंडेंट।

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर दिनांक 24.03.2017 प्र.संख्या क्रमशः 25/17 उनवानी रामलखन बनाम सरकार एवं भीकम बनाम सरकार।

उपस्थितिः—

1. श्री सुरेन्द्र कुमार दुबे वकील अपीलांट।
2. श्री गजेन्द्र सिंह रैस्पो0(राजकीय अधिवक्ता)।

निर्णय   दिनांक— 14.11.2017

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. यह अपील अंतर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर के आदेश दिनांक 24.03.2017 के विरूद्ध पेश की गई है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि तहसीलदार बाडी ने आराजी खसरा नंबर 186 कुल रकबा 05 बीघा 09 विस्वा किस्म चारागाह वाके ग्राम कुतकपुर तहसील बाडी में से 10 विस्वा भूमि पर अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए बेदखल करने, पैनल्टी राशि आरोपित करने एवं तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया। जिसके विरूद्ध अप्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रथम अपील न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर के समक्ष की गई। न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा उक्त अपील, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.03.2017 से खारिज कर दी। जिसके विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर की गईं। रेस्पोंडेंट एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किए कि विवादित आराजी पर अपीलाण्ट का कोई कब्जा नहीं है एवं ना ही उनके द्वारा कोई अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाडी द्वारा मात्र हल्का पटवारी की रिर्पोट के आधार पर सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर के समक्ष विवादित आराजी पर भविष्य में कभी भी कब्जा नहीं करेगा, इस आशय का शपथ–पत्र भी पेश कर दिया। किन्तु फिर भी प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा सजा माफ न करने एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानने में कानूनी भूल की है। अपीलाण्ट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में नही आता है। अपने विशेष कथन में अपीलाण्ट द्वारा भविष्य में कभी भी विवादित भूमि पर कब्जा नही करेगा, इस आशय का शपथ पत्र वक्त बहस देने का कथन करते हुए, अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जाकर सिविल जेल की सजा माफ करने का निवेदन किया।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि विवादित भूमि चारागाह की भूमि है। जिस पर अपीलांट द्वारा अवैधानिक कब्जा किया है। अपीलाण्ट के विद्वान अभिभाषक का यह कथन उचित नही है कि अपीलाण्ट विवादित आराजी पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी नही है। अपीलाण्ट ने विवादित भूमि पर पूर्व में भी अतिक्रमण किया था इस बात की पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट/बयान, दैनिक डायरी एवं खसरा परिवर्तनशील से साबित होती है। अपीलाण्ट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में ही आता है एवं ऐसे पश्चात्वर्ती अतिक्रमी के खिलाफ सिविल जेल एंव शास्ति कायम करना उचित ही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जॉच उपरान्त ही निर्णय पारित किया है, जिसमें कोई कानूनी भूल नही की है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावें।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपीलाण्ट का प्रमुखता से कथन यह रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर में कब्जा छोडे जाने का शपथ– पत्र प्रस्तुत किये जाने के बाबजूद तहत न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर द्वारा सिविल जेल की सजा माफ नही की। हमने दोनों अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियों का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर के समक्ष प्रथम अपील में अतिक्रमण हटाये जाने का शपथ–पत्र दिनांक 21.03.2017 को प्रस्तुत कर दिया है, जो पत्रावली में संलग्न है। अपीलाण्ट द्वारा उक्त शपथ पत्र की मद संख्या 03 में विवादित आराजी से कब्जा छोडा जाना अंकित किया है। परन्तु शपथ पत्र की किसी मद में यह अंकित नहीं है कि अपीलाण्ट विवादित आराजी पर भविष्य में कभी भी कब्जा नहीं करेगा। कथित रूप से अतिक्रमण हटा लेने मात्र से, अपीलाण्ट अप्रार्थी दण्ड के दायित्व को नही टाल सकता है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाडी ने उचित रूप से पश्चात्वर्ती

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अतिक्रमी पाये जाने पर तीन माह की सिविल जेल आदेश पारित किया एवं प्रथम अपील भी उचित ही खारिज की गई है।

6. वक्त बहस अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपीलाण्ट की ओर से, अतिक्रमण हटा लेने एवं पुनः अतिक्रमण नही करने का परिवचन (UNDERTAKING) देने की तत्परता दर्शाई गई है। चूंकि भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 अन्तर्गत सिविल जेल सजा का उद्देश्य, अतिक्रमी को निरूद्ध कर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराना ही है, जिसकी पूर्ति अपीलाण्ट की अन्डरटेकिंग से होती है। अतः हम, अपील अल्पांश स्वीकार करते हुए, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाडी को निर्देशित करना चाहेंगें कि सिविल जेल क्रियान्वयन के क्रम में गिरफ्तारी वारण्ट जारी करने से पूर्व मौके पर सत्यापन कर लेवें, यदि अपीलाण्ट अप्रार्थी द्वारा अतिक्रमण हटाना पाया जावें एवं अपीलाण्ट दिनांक 15.12.2017 तक भविष्य में अतिक्रमण नही करने का परिवचन दें, तो तीन माह सिविल जेल की सजा स्थगित रखें। अपीलाण्ट द्वारा पुनः अतिक्रमण करने पर सिविल जेल की सजा के क्रियान्वयन के साथ-साथ भू राजस्व अधिनियम की धारा 91(6) अन्तर्गत भी कार्यवाही करें।

7. अतः अपील अपीलांट अल्पांश स्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय प्रति के साथ लौटाया जावें।

8. निर्णय आज दिनांक 14.11.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official